कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3/2023/1701 लखनऊः दिनांक 04 अगस्त 2023

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या–।/360946/2023 दिनांक 02 अगस्त 2023 में निहित निर्देशों के अनुपालन में स्नातक (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेज में शैक्षणिक सत्र 2021–22 की भांति औसत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैंः–

स्नातक (एम0बी0बी0एस0)

क0सं0	संस्था का नाम	शिक्षण शुल्क धनराशि (रू0)
1	एस0के0एस0 हॉस्पिटल मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा	12,14,683/–

2– उक्त के अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2021–22 के शुल्क निर्धारण संबंधी शासनादेश सख्या–।/120293/2021 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा निर्धारित निम्नांकित शुल्क भी लागू होंगेः–

(1) **छात्रावास शुल्क**

(ए) नॉन ए0सी0 रू0 1,50,000 प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

(2) **सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)**

हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुएः– रू0 3,00,000 (एक बार)

(3) **विविध शुल्क**– रू0 85,600 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेन्ट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोसिएशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित हैं।

3– शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। सम्बन्धित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

4– संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक